



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सैल) Corporate Tax (GST CELL)

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, रैक्स- 8270, 8257

11nd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं0: 04/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017-18

दिनांक: 13.09.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषय: जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यों की निविदा निस्तारण हेतु एवं पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

1. जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यों की निविदा निस्तारण के सम्बन्ध में।

जैसा कि विदित है कि 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू हो गया है एवं पूर्व में लागू समस्त कर (Excise Duty, CST, VAT, Purchase Tax & Entry Tax) समाप्त कर केवल जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है।

सिविल कार्यों हेतु शिड्यूल ऑफ रेट (SOR) मण्डल स्तर पर बनाये जाते हैं जिसमें सीमेन्ट, स्टील, ईट, गिट्टी, बालू इत्यादि में सभी कर शामिल होते हैं जिसके आधार पर अनुमानित लागत सूचित करते हुए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जी0एस0टी0 01.07.2017 से लागू होने के कारण पूर्व में आमंत्रित निविदाओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। निविदाओं का निस्तारण करने हेतु यह आवश्यक है कि शिड्यूल ऑफ रेट में पूर्व में लागू करों को डी-लोड (रिवर्स कैल्कुलेशन) करते हुए दरों को कर-रहित कर लिया जाये। कर रहित दरों पर अलग से जी0एस0टी0 दिया जाये।

उदाहरण के तौर पर जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व किसी वस्तु का शिड्यूल रेट (SOR) 100 रू0 था एवं वैट रेट 04% एवं Excise Duty 12.5%, जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् निम्नलिखित अनुसार उस वस्तु का नया शिड्यूल रेट निकाला जा सकता है :-

myk

Schedule Rate		₹ 100.00
Less VAT @ 4%	$\frac{100}{104} \times 4$	₹ 3.85
		₹ 96.15
Less Excise @ 12.5%	$\frac{96.15}{112.50} \times 12.5$	₹ 10.68
Base Price		₹ 85.47
Add GST @ 18%		₹ 15.38
Revised Schedule Rate		₹ 100.85

इस प्रकार शिड्यूल ऑफ रेट (SOR) को संशोधित करते हुए कर-रहित संशोधित शिड्यूल ऑफ रेट तैयार करते हुए निविदाओं का निस्तारण किया जा सकता है।

जी०एस०टी० रजिस्टर्ड निविदादाताओं से ही संव्यवहार किया जायें। भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में दरें जी०एस०टी० रहित प्राप्त की जाये एवं उस पर तत्समय लागू दर से जी०एस०टी० का भुगतान किया जायें।

2. Supply from SEZ/Excise exempted zones-

पूर्व में कुछ दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों जैसे उत्तरांचल, दादर नगर हवेली आदि स्थित फर्मों के लिए एक्साइज ड्यूटी, सेल्सटैक्स पर छूट का प्रावधान था। ई०डी० एवं सेल्सटैक्स छूट के कारण इन स्थानों पर स्थित फर्मों द्वारा अधिक एक्सवर्कस दरें देने के पश्चात् भी Total FOR दरें (टैक्स एवं ड्यूटी सहित) कम प्राप्त होती थी, परन्तु जी०एस०टी० की दरें समान होने के कारण इन अनुबन्धों पर उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

इन भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित फर्मों अधिक एक्सवर्कस दरें उद्धृत करने के पश्चात् भी एक्साइज ड्यूटी व सेल्सटैक्स की छूट के कारण न्यूनतम निविदादाता रहते थे परन्तु यदि इन फर्मों की अनुबन्धित एक्सवर्कस दरों पर जी०एस०टी० दिया जाता है तो निगम के ऊपर अधिक भार आएगा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी फर्मों को यह आफर दिया जाए कि वे पूर्व में लागू For Destination Price की दर जिसमें जी०एस०टी० सम्मिलित है, मानते हुए स्वीकार कर ले। अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार के अनुबन्धों को शार्ट क्लोज करना प्रस्तावित है।

13/9/17
(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं०: 04/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित निगमों में लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित कम्पनी द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
- 2- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 3- उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 5- उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 6- अनु सचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- अधिशाषी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)